राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्रमांक एफ 11(8)/ग्रावि./नरेगा/पद सृजन/2010 पार्ट–I जयपुर दिनांक **26 JUL 2016**

<u>कार्यालय आदेश</u>

इस विभाग के कार्यालय आदेश दिनांक 07.01.2016 के द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी कियान्वयन एवं प्रबन्धन हेतु राज्य स्तर पर गठित राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के अधीन निदेशालय सामाजिक अंकेक्षण हेतु राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर सृजित पदों में से कार्यरत प्रतिनियुक्त/संविदा कार्मिकों की समयावधि दिनांक 29.02.2016 तक बढायी जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत केवल कार्यरत संविदा/प्रतिनियुक्ति पदों की समयावधि दिनांक 28.02.2017 तक बढाये जाने की सहमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि :–

1. महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमत 6 प्रतिशत की सीमा में रखा जाना सुनिश्चित किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक व्यय मद में अनुमत सीमा से अधिक व्यय होने पर राज्य मद से कोई राशि उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।

2. प्रशासनिक व्यय की 6 प्रतिशत अनुमत सीमा के अनुरूप विभाग द्वारा महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति तथा संविदा सेवाओं के प्रस्ताव मुख्यालय, जिला ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कार्मिकों की संख्या एवं उन पर होने अनुमानित व्यय के पदवार विवरण सहित समीक्षा उपरान्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।

3. इस संबंध में अंतिम निर्णय होने तक विभाग द्वारा योजनान्तर्गत सभी रिक्त नियमित पदों तथा संविदा पदों पर कोई भर्ती नहीं की जावे तथा संविदा आधार पर संविदा पर रखे गये किसी भी कार्मिक द्वारा पद छोडने पर किसी अन्य को उसकी एवज में नहीं रखा जावे तथा संविदा कार्मिक द्वारा कार्य छोड देने पर संबंधित ग्राम पंचायत में उसका कार्य पंचायतीराज विभाग में उपलब्ध कार्मिकों से कराया जावे।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आईडी संख्या 101602227 दिनांक 14.06.2016 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों के 29.02.2016 तक की अवधि के कार्यों का मूल्यांकन करने के उपरान्त कार्य संतोषजनक पाये जाने एवं पूर्ण संतुष्टि होने पर ही इनकी अनुबन्ध अवधि 28.02.2017 तक बढाई जाने की कार्यवाही की जावे।

(रोहित कुमार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
6. निदेशक सामाजिक अंकेक्षण, ग्रामीण विकास विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास (अनुभाग –1) विभाग, जयपुर।
9. परियोजना निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस।
10 अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम / द्वितीय) ईजीएस।
11. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान ग्रामीण रोजगार गांरटी परिषद्, जयपुर।
12. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस, समस्त राजस्थान।
13. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
14. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस, जयपुर, बाडमेर।
15. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस